

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)  
पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-7/2023 (2023/31) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. मुलचन्द पिता मोहनलाल कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पिता मांगीलाल सोनी निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतनलाल पिता नाथुलाल सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोपाल पिता बालु सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राधाकिशन पिता बालु सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सुगनादेवी पत्नि बालु सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. किशन पिता अर्जुन सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. जगदीश पिता अर्जुन सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नरेश पिता अर्जुन सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजु पिता अर्जुन सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. घीसी पुत्री अर्जुन सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. प्यारी पत्नि अर्जुन सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. भैरू पिता भुरा कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. राजु लाल नायक -

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 16.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी संख्या 1441 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 1444 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 1445 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 53 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थी ने दिनांक 01.12.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।



*(Signature)*

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 13.01.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2 लगायत 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी संख्या 1441 रकबा 0.42 है०, आराजी संख्या 1444 रकबा 0.56 है०, आराजी संख्या 1445 रकबा 0.10 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.08 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 53 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नेहा छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-7/2023 (2023/31) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. मुलचन्द पिता मोहनलाल कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पिता मांगीलाल सोनी निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतनलाल पिता नाथुलाल सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोपाल पिता बालु सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राधाकिशन पिता बालु सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सुगनादेवी पत्नि बालु सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. किशन पिता अर्जुन सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. जगदीश पिता अर्जुन सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नरेश पिता अर्जुन सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजु पिता अर्जुन सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. घीसी पुत्री अर्जुन सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. प्यारी पत्नि अर्जुन सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. भैरु पिता भुरा कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 23.05.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की कृषि आराजी संख्या 1441 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 1444 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 1445 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 53 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(नेहा छीपा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर, जिला भीलवाड़ा

भीलवाड़ा